



**Asha For Education Sillicon Vally**  
**Mahesh Kumar Pandey Fellowship 2022-2023**

## Social Journey of Mahesh Kumar

- Mahesh Kumar started his social journey in 1994 with one of the co-founders of 'Asha' Sandeep Pandey.
- From 1994 to 1996 his work involved help in teachers training and creating curriculum for a school established for underprivileged kids in Ballia District of Uttar Pradesh.
- From 1997 to 1998 he worked with JP trust in Sitabdiyara, Ballia on rural technology.
- In 1999 he participated in a 1500 KM long march from Pokhran to Sarnath for Nuclear Disarmament and Peace.
- From 2000 to 2005 his area of work expanded to include Education, RTI, MNREGA, Village empowerment, women empowerment and other social issues in Hardoi and Lucknow District
- In the year 2006 he started working in Kanpur for education of Migrant Children, RTI, RTE MNREGA, Women Empowerment, Women Domestic Workers, Human rights, Labour rights, Environment, Peace, Communal harmony and other social issues.



## Education for Children of Migrant Labours

### Ek Kadam Project ( Apna Ghar)

Ek-Kadam project is a residential hostel for the all around development of migrants' children run by 'ASHA' Kanpur. It was started in 2006 as a model project for those migrant children who had to leave their education in between due to their parents' profession. Their parents usually migrate from other states or districts to Kanpur in search of work. Most of them work at brick-field site along with their children for 6-7 months and then go back to their native villages. We started a residential hostel under Ek-Kadam project, which is known as Apna Ghar. It started with only nine children but now there are forty two children with us. Currently there are 48 children living in a well-planned residential complex. 15 children have completed their education and moved out from Apna Ghar for further studies.
















































What do we do?

Help empower  
the underprivileged  
by providing access  
to education

Find out how



**Asha**

for Education is  
a fully  
volunteer-run

501(c)(3) non-profit with 50+  
chapters around the world whose  
mission is to catalyze socio-  
economic change in India through  
the education of underprivileged

**We**

work with over 200  
projects spread  
across the length and  
breadth of India. The projects deal  
with educational issues from pre-  
primary schooling to professional  
education in locations from urban  
slums to isolated rural areas. [Learn](#)

**You**

can help us in our  
mission in a variety  
of ways. You can  
join a local chapter, get involved with  
projects in India at an intimate level  
with the Asha Stars program, help us  
with our fundraising efforts, visit a  
project in India, donate! [Learn more...](#)

Donate

Chapters


Contact











**Mukesh's journey**  
from *a Brick Kiln* to  
*Azim Premji University*















## Right to Education 2009

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act or Right to Education Act (RTE), is an Act of the Parliament of India enacted on 4 August 2009, The RTE Act aims to provide primary education to all children aged 6 to 14 years. The act mandates 25% reservation for disadvantaged sections of the society.

In Kanpur 2016-2017 session there were only 2 admissions under the RTE.

We ran a campaign In Kanpur which resulted in total admission is reaching after second lottery 7,026 in 2022-2023 under the RTE act.

Website interface for the Right to Education (RTE) 2009, Government of Uttar Pradesh.

Header: बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (Basic Education Department, Government of Uttar Pradesh)

Navigation Menu: HOME, HELP CENTER, ADMISSION SCHEDULE, DIRECTORATE LOGIN, BSA LOGIN, SCHOOL LOGIN

Left Sidebar:

- RTE Notification
- Admission process
- User Manual
- List of Mapped Private School
- Redressal Mechanism

Center Section:

LATEST NEWS: RTE TIMELINE 2022

Right Sidebar:

- Online Application/ Student Login
- Lottery Result
- Seat Allotment Result
- Child Tracking Report
- Financial Aid Detail

Student Registration Form:

1. District: \* --Select District--

2. Area Type: \*

3. Town/Block: \*

4. Gram Panchayat/Ward: \*

5. Full Name Of Student: \*

6. Mobile No: \*

7. Date Of Birth: \* (DD/MM/YYYY)

8. Gender: \*

9. Class: \* -- चयन करें --

10. Category: \*

11. Certificate No \*

12. Upload Document: \* Browse... No file selected.

NOTE:

1. Image should be jpeg/jpg and less than 100KB
2. अलाभित समूह: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अथवा विकलांग बच्चा, एचआईवी+ अथवा कैसर पीड़ित अभिभावक का बच्चा, निराश्रित/बेघर बच्चा, ट्रांसजेंडर
3. दुर्बल वर्ग: जिसके माता-पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय ₹० 1 लाख तक हो, विकलांगता / वृथावस्था / विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता

Registration Button: Register



RTE 25% UTTAR PRADESH DISTRICT WISE TOTAL SEAT ALLOTMENT 20230-2024					
S.No.	District	Allotted Seat (L-1)	Allotted Seat (L-2)	Allotted Seat (L-3)	Total Seat (Lottery 1 To 3)
1	AGRA	2641	2119	0	4760
2	ALIGARH	2725	1075	0	3800
3	ALLAHABAD	1624	1010	0	2634
4	AMBEDKAR NAGAR	148	217	0	365
5	AMETHI	416	580	0	996
6	AMROHA	270	390	0	660
7	AURAIYA	40	53	0	93
8	AZAMGARH	658	1002	0	1660
9	BAGHPAT	90	96	0	186
10	BAHRAICH	37	158	0	195
11	BALLIA	1388	1075	0	2463
12	BALRAMPUR	49	50	0	99
13	BANDA	264	284	0	548
14	BARABANKI	407	443	0	850
15	BAREILLY	1223	592	0	1815
16	BASTI	12	26	0	38
17	BHADOHI	920	718	0	1638
18	BIJNOR	454	260	0	714
19	BUDAUN	683	620	0	1303
20	BULANDSHAHR	1914	1440	0	3354
21	CHANDAUJI	603	452	0	1055
22	CHITRAKOOT	6	27	0	33
23	DEORIA	38	86	0	124
24	ETAH	143	160	0	303
25	ETAWAH	86	262	0	348
26	FAIZABAD	220	153	0	373
27	FARRUKHABAD	121	192	0	313
28	FATEHPUR	262	194	0	456
29	FIROZABAD	820	1222	0	2042
30	GAUTAM BUDDHA NAGAR	2998	2088	0	5086
31	GHAZIABAD	3606	1703	0	5309
32	GHAZIPUR	435	540	0	975
33	GONDA	134	540	0	674
34	GORAKHPUR	2066	1049	0	3115
35	HAMIRPUR	9	44	0	53
36	HAPUR	1033	534	0	1567
37	HARDOI	75	227	0	302
38	HATHRAS	1112	597	0	1709
39	JALAUN	326	351	0	677
40	JAUNPUR	180	151	0	331
41	JHANSI	1000	677	0	1677
42	KANNAUJ	12	29	0	41
43	KANPUR DEHAT	50	80	0	130
44	KANPUR NAGAR	4190	2836	0	7026
45	KASGANJ	129	165	0	294
46	KAUSHAMBI	63	81	0	144
47	KHERI	267	296	0	563
48	KUSHI NAGAR	180	346	0	526
49	LALITPUR	381	256	0	637
50	LUCKNOW	7336	5618	0	12954
51	MAHARAJGANJ	315	402	0	717
52	MAHOBA	15	45	0	60
53	MAINPURI	269	324	0	593
54	MATHURA	355	600	0	955
55	MAU	445	335	0	780
56	MEERUT	2988	1796	0	4784
57	MIRZAPUR	1229	496	0	1725

58	MORADABAD	3002	1151	0	4153
59	MUZAFFARNAGAR	99	320	0	419
60	PILIBHIT	485	254	0	739
61	PRATAPGARH	67	140	0	207
62	RAE BARELI	728	483	0	1211
63	RAMPUR	707	479	0	1186
64	SAHARANPUR	599	690	0	1289
65	SAMBHAL	193	383	0	576
66	SANT KABEER NAGAR	153	107	0	260
67	SHAHJAHANPUR	476	441	0	917
68	SHAMLI	340	763	0	1103
69	SHRAVASTI	104	59	0	163
70	SIDDHARTH NAGAR	12	407	0	419
71	SITAPUR	252	290	0	542
72	SONBHADRA	455	301	0	756
73	SULTANPUR	312	195	0	507
74	UNNAO	156	203	0	359
75	VARANASI	6492	1264	0	7756
TOTAL		64092	45092	0	109184



# बच्चों के अधिकार पर भी डाका... ये कैसे स्कूल

कानपुर। स्कूल ही बच्चों से मुंह मोड़ लें, उनका अधिकार न दें तो... उन्हें क्या कहा जाए। कानपुर के दो स्कूलों से ऐसे ही मामले सामने आए। एक स्कूल ने मां के आसुओं की कद्र नहीं की। आरटीई के तहत हकदार उसके बच्चों को प्रवेश नहीं दिया। आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने बुधवार के अंक में उस मां के दर्द को शब्द दिए तो पूरा तंत्र जागा। अफसर बच्चों को लेकर पहुंचे और बच्चों को प्रवेश दिलाया। लेकिन इसी दिन एक अन्य स्कूल की असवेदनशीलता सामने आई है। उसने आरटीई के तहत पढ़ रहे छात्रों को केवल इसलिए स्कूल से बाहर कर दिया कि उनको पास स्मार्ट फोन नहीं है।

## स्मार्टफोन नहीं था, बच्चे का नाम काटा

कानपुर, बरिष्ठ संवाददाता। गरीब पिता अपने बच्चों को स्मार्ट फोन न दे सके तो स्कूल ने उनके नाम काट कर बाहर कर दिया। इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 2018-19 में प्रवेश मिले थे। ये कोविड काल में स्मार्ट फोन से पढ़ाई नहीं कर सके। स्कूल से नाम कटने के बाद एक मजदूर पिता बेटी को लेकर स्कूल के चक्कर काटते-काटते थक गया तो उसे घर पर ही बैठा लिया। बीएसए स्कूल वरक ऐसे चार मामलों में प्रवेश दिलाया। स्कूल शिक्षा महाविभाग से भी शिकायत की है।

उत्मानपुर निवासी देशराज मजदूर का परिवार का पेट पालते हैं। उन्होंने बेटी अर्चना का एडमिशन आरटीई के तहत सत्र 2018-19 में साकेत नगर स्थित वैडी एकेडमी हाईस्कूल में प्री नर्सरी में करा दिया था। देशराज के अनुसार एक सत्र उसने पूरी पढ़ाई की। अगले सत्र में कोरोना काल के दौरान किसी भी तरह का फोन नहीं होने के

- 2018-19 में मिला था प्रवेश स्कूल वालों की मनमानी
- बीएसए से मजदूर देशराज ने बच्चों की अपनी बेबसी
- वैडी एकेडमी में आरटीई में दो वर्ष पहले कराया था दाखिला

### स्कूल को बीएसए ने थमाया नोटिस

बैसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने वैडी एकेडमी हाईस्कूल, साकेत नगर के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर कार्यालय में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। समाजसेवी संदीप पांडेय और हेमरा कुमार ने अभिभावकों की ओर से वैडी एकेडमी हाईस्कूल की शिकायत की है।

कारण पढ़ाई बालित हो गई।

स्कूल खुला तो नर्सरी की इंट्री : देशराज बताते हैं कि सत्र 2022-23 की शुरुआत हुई तो यह बेटी को लेकर स्कूल गए। स्कूल ने मेरी बेटी को पढ़ाने से मना कर दिया। प्रिंसिपल ने कहा- जब स्मार्ट फोन नहीं तो पढ़ाई क्यों करते हो। इसकी शिकायत बैसिक

आरटीई में सत्र 2018-19 में प्रवेश लेने के बाद स्कूल बच्चों को निकाल नहीं सकते हैं। स्कूल संचालक को नोटिस दिया गया है। यदि वे फिर भी प्रवेश नहीं लेते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। - सुरजीत कुमार सिंह, बैसिक शिक्षा अधिकारी

शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की पर स्कूल न माना। यही हाल अन्य तीन बच्चों का भी : उत्मानपुर निवासी सनेज भी मजदूर हैं। उनकी बेटी सान्या का दाखिला भी वर्ष 2018-19 में प्री नर्सरी में हुआ था पर स्मार्ट फोन न होने से प्रवेश नहीं दिया।

## जुड़वां रिदम, अमाया को बर्थाडे का गिफ्ट

कानपुर, बरिष्ठ संवाददाता। छह माह बाद जुड़वां भाई-बहन रिदम और अमाया को उनके जन्मदिन पर स्कूल में एडमिशन का गिफ्ट मिल गया। शिक्षा का अधिकार के तहत इन बच्चों को स्कूल आवंटित हुआ था लेकिन स्कूल प्रवेश लेने की तैयार नहीं था। बुधवार को बीएसए सुरजीत कुमार सिंह ने खुद जाकर बच्चों का प्रवेश कराया।

आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने बुधवार के अंक में 'स्कूल के सामने गई मां, फिर भी नहीं लिया प्रवेश' खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। डीएम के निर्देश पर बुधवार सुबह बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारी दीपक अवस्थी और बरिष्ठ लिपिक अमिल द्विवेदी एनएफके पब्लिक लिटिल स्ट्रेप जवाहर नगर पहुंचे। यहाँ बच्चों को मां बबिता को बुलाया गया।



जुड़वां बच्चे रिदम व अमाया के साथ बबिता।

स्कूल के स्तर से कई शिकायतें आई थीं। इसे लेकर उसे नोटिस भी दिए जा रहे थे। स्कूल ने दोनों बच्चों को प्रवेश दे दिए हैं। स्कूल को बतावनी भी दी गई है। अन्य स्कूलों ने भी वादा किया है कि वे प्रवेश ले लेंगे। - सुरजीत कुमार सिंह, बैसिक शिक्षा अधिकारी

स्कूल को दी गई चेतावनी, तब माने : पहले तो स्कूल ने प्रवेश लेने में आनाकानी की। काफी देर बाद एक तकनीकी खामी निकाली। अभिभावक के आवास की जांच का मुद्दा उठाया। नियमों की अवहेलना पर जब स्कूल को प्रवेश न लेने पर उनके खिलाफ संभावित कार्रवाई के बारे में बताया गया तो स्कूल प्रवेश लेने पर राजी हुआ।

- बैसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी खुद पहुंचे प्रवेश कराने
- एनएफके पब्लिक लिटिल स्ट्रेप जवाहर नगर में अप्रैल से लौट रही थी मां

अभिभावक से मांगा शपथपत्र: इन बच्चों को एनएफके पब्लिक लिटिल स्ट्रेप जवाहर नगर में सीए आवंटित की गई थी। स्कूल का कहना था कि बच्चे जुड़वां हैं, लेकिन फार्म में एक में अलाफाई व है। बताया कि फार्म अभिभावक डायरेक्ट केफे पर भरावते हैं। इस कारण यह झुट हो गई होगी। अभिभावक एक शपथपत्र दे देंगे।

# आरटीई के तहत दाखिला देने में लापरवाह 40 स्कूलों को नोटिस

राहर के सभी स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ होगी बैठक, डीएम करेंगे समीक्षा

अधिकार सिंह

लखनऊ। निशुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी करने वाले शहर के 40 स्कूलों को बीएसए ने नोटिस भेजा है। बच्चों को दाखिला न देने पर इन आरटीई अभियंत्रण के तहत कड़ी कार्रवाई को चेतावनी दी है। वहीं, आरटीई पेंडल पर पंजीकरण न करने वाले गोमती नगर विरार खंड चार स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल को विशेष रूप से नोटिस भेजा गया है। दर्दिले के दो चरण बंद चुके हैं और तीसरा चरण चल रहा है, लेकिन इस स्कूल ने आरटीई पेंडल पर पंजीकरण नहीं कराया है। इससे अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले के लिए अवेलेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर उजाला ने आरटीई में गड़बड़ी और दाखिला न होने से परेशान अभिभावकों की समस्याएं प्रमुखता से प्रकाशित की थीं।

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण के चयनित बच्चों की दाखिला सूची 30 मार्च और दूसरे चरण की 28 अप्रैल को जारी की गई थी। पहले चरण से ही अभिभावकों को बच्चों का दाखिल कराने में समस्याएं आ रही हैं। अभिभावकों के अनुसार स्कूल दाखिला देने में बहानेबाजी कर रहे हैं। नोटिस जारी किया है। इनमें अधिकतर बड़े

दाखिले के इंटरजार् में आरटीई के 9709 बच्चे

आरटीई को ठेगा... स्कूल बोले, फीस जमा करो तभी दाखिला

स्कूल बंद... लेकिन विभाग दिला रहा दाखिला

आरटीई में गड़बड़ी को लेकर अमर उजाला में प्रकाशित खबरें।

इसी सप्ताह होगी स्कूलों के प्रतिनिधियों की बैठक

स्कूल जैसे डीपीएस, जयपुरिया, सीएमएस, मिशनरियम, एलपीएस, न्यू पब्लिक कालिदास समेत कई स्कूल शामिल हैं। बीएसए ने बताया कि सभी को नोटिस जारी कर बच्चों को दाखिले देने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद बैसिक शिक्षा अधिकारी विभाग प्रमुख सिद्धांत 40 स्कूलों को नोटिस जारी किया है। इनमें अधिकतर बड़े

200 से ज्यादा शिकायतें आईं

स्कूल जैसे डीपीएस, जयपुरिया, सीएमएस, मिशनरियम, एलपीएस, न्यू पब्लिक कालिदास समेत कई स्कूल शामिल हैं। बीएसए ने बताया कि सभी को नोटिस जारी कर बच्चों को दाखिले देने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद बैसिक शिक्षा अधिकारी विभाग प्रमुख सिद्धांत 40 स्कूलों को नोटिस जारी किया है। इनमें अधिकतर बड़े

# आरटीई में प्रवेश से बचने को स्कूलों में 'स्पेशल रजिस्टर'

आरटीई में एडमिशन कमा लेने पर इसलिए अधिकतर स्कूल डिब्बा रहें कमा सीटें

स्कूलों में 1000 से लेकर 2000 बच्चे, एडमिशन ले रहे सिर्फ 10 से 20 बच्चों का

kanpur@next.co.in KANPUR (1 Sept): यह 2 एडमिशन यानि आरटीई में आवेदन रूप से कमजोर बच्चों के कम से कम एडमिशन लेने में स्कूलों के स्कूल बंद रहें। यह स्कूलों को फीस जमा कर रहे हैं, यह-यह खासियां निकालकर एडमिशन न लेना तो आम बात हो गई थी। डीएम के एक्शन के बाद स्कूलों ने एडमिशन तो ले लिया है लेकिन अब क्या खेल सामने आया है। राहर के कई गवर्नरी स्कूलों में एडमिशन रजिस्टर बनाया है। बीएसए ऑफिस के कर्मचारियों को दिखाये के लिए जिसमें बच्चे गुप या फर्स्ट क्लास की सीटें सिर्फ 15 या 20 दिखाई जा चुकी हैं जिससे आरटीई में चार या पांच बच्चों का ही प्रवेश लेते हैं। जबकि स्कूलों में छत्र सेना 2000 से भी ज्यादा है।

40 बच्चों की एक क्लास

सीबीएसई और आरटीई स्कूलों में पीजी और फर्स्ट की क्लास में 40



बीएसए साहबा 'गर्ल' कीजिए कानपुर RTE में नीचे से टॉप पर है

बच्चों का एक सेवान कोला है, कई बड़े स्कूलों में तो चार- पांच सेवान चल रहे हैं। इस हिसाब से वहां 120 और 160 बच्चे इन क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आरटीई में एडमिशन न लेना पड़े इसलिए स्पेशल रजिस्टर बनाकर उन्में पीजी या फर्स्ट क्लास में स्कूल में सिर्फ 20 या 40 सीटों का ही हवाला दिया जा रहा है। आरटीई के तहत सातवीं की माइक्रोहान है कि निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर

आरटीई के तहत बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा।

25 प्रतिशत सीटों पर जल्दी अगर पीजी और फर्स्ट में 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, कई जांचपती स्कूल ऐसे हैं जहां सीटों के अनुसार बच्चे प्रवेश लेते हैं जहां सिर्फ 5 या 6 बच्चों का एडमिशन ही लिया है।

स्कूल ने दिखाई 20 सीटें

डीएम को बैठक से पहले चार के एक स्कूल में बीएसए के कर्मचारी आरटीई के एडमिशन करने गए थे। स्कूल प्रबंधक ने अपने यहां सिर्फ 20 सीटें ही बताईं, इस हिसाब से 25 प्रतिशत के हिसाब से 5 बच्चों के

4000 से अधिक बच्चों को आरटीई के तहत मिला एडमिशन

1343 प्राइमेट स्कूल रजिस्टर्ड हैं वेबसाइट पर

8077 बच्चों को बीएसए ऑफिस ने स्कूल एलेंट किए गए हैं

स्कूलों में हर बच्चे को एडमिशन दिलाते का प्रयास किया जा रहा है, आरटीई को लेकर रजिस्टर की जानकारी नहीं है, अगर ऐसा है, तो टीमें बना कर जांच करवाई जाएगी, गवर्नरशिप प्रिंसी तो इतरान होना, सुरजीत कुमार सिंह, बीएसए

एडमिशन लेने की बात कही थी, ये तो सिर्फ उदाहरण है।

10 स्कूलों 25 या 30 प्रवेश

शहर में सीबीएसई और आईसीएसई के करीब 200 स्कूल हैं, अधिकतर में सीटों की संख्या लगभग 200 के करीब 10 स्कूलों में 25 या इससे कम बच्चों के एडमिशन लिए हैं जबकि अन्य में 10 फीसदी भी नहीं लिए,

## ट्रेलर ने डीसीएम में मारी टक्कर चालक की मौत

डिवाइडर तोड़ते हुए डीसीएम ड्राइवरों टक्कर, हाईवे पर लगा जाम

Kanpur@next.co.in KANPUR (1 Sept): दुनिया के फल एल्टीवेटेड हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने डीसीएम के चक्कर में आगे चल रहे डीसीएम में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि डीसीएम ड्राइवर को घायल हो गया। हाईवे पर जा पहुंचा और दो-तीन घंटों के चलकर गाड़ियों के बीच फंस गए, हाइवे के बाद हाईवे पर करीब डेढ़ घंटे जाम लगा रहा। मीके पर पहुंची गुजैनी और बर्ग थाने की चीफ और ट्रैफिक पुलिस ने क्रैन से डीसीएम खींचकर गंभीर रूप से घायल डीसीएम ड्राइवर को निकाल एम्बुलेंस आर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने ट्रेलर चालक की मृत घोषणा कर दिया।

ट्रेलर उड़ीसा से आ रहा था राजस्थान के जयपुर जिला निवासी 35 साल के डीसीएम ड्राइवर को निकाल में पल्टी आईस और चार बच्चे हैं। रिस्कोदार ड्राइवरलेन में बलाया कि जैकब किशनगढ़ के लोहा कारोबारी का ट्रेलर चलाता था, वह उड़ीसा से ट्रेलर में लोहे की चालर लाकर गंजायागढ़ जा रहा था, गुजरात दोपहर गुजैनी के पास एल्टीवेटेड हाईवे पर आने वाला रहे अल्टीवेटेड हाईवे पर आने वाला ट्रेलर डीसीएम के डीसीएम से टक्कर टकरा गया था, दोनों गाड़ियों की कार्रवाई कर रहे थे, चालक को मार डाला गया था।

# 1.31 लाख गरीब बच्चे निजी स्कूल में पहुंचे

तक आवेदन किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सभी निजी स्कूलों को आरटीई 2009 के मुताबिक गरीब व सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए कक्षा एक में प्रवेश देने का आदेश दिया है। इन बच्चों को कक्षा आठ तक निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसमें फीस का भार सरकार उठाती है। चयनित छात्रों के एडमिशन में आनाकानी करने पर निजी स्कूलों पर कार्रवाई भी की जाती है। बैसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सर्वेन्द्र किशोर बहादुर सिंह ने बताया कि तीसरे चरण की लॉस्ट 15 जून को निकलेंगी और 30 जून तक दाखिले

होंगे। इसके तहत सरकार निजी स्कूलों को 450 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र प्रीस प्रीवित करती है।

पौने पांच लाख गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं निजी स्कूलों में : देश में आरटीई कानून 2009 में ही लागू किया गया था। पूर्ववर्ती सापा सरकार में 2012 से 2016 तक लगभग 21 हजार बच्चों के एडमिशन हुए थे। जबकि 2017 से 2021-22 तक प्रवेश लिए हुए 3.41 लाख बच्चे निजी स्कूलों में अब भी पढ़ाई कर रहे हैं। इस सत्र में 1.31 लाख बच्चों का प्रवेश हो चुका है। पिछले शैक्षिक सत्र में लगभग एक लाख बच्चों का प्रवेश हुआ था।

## वर्तमान शैक्षिक सत्र में ये जिले हैं टॉप टेन में

जिला	बच्चे
लखनऊ	14246
कानपुर नगर	8077
बाराणसी	7321
आगरा	5350
मोतमहलनगर	5049
गाजियाबाद	4515
मुरादाबाद	4097
अलीगढ़	4091
मैथिलगढ़	3147
मेरठ	3124



## बच्चों के अधिकार पर भी डाका...ये कैसे स्कूल

कानपुर। स्कूल ही बच्चों से मुंह मोड़ ल, उनका अधिकार न दें तो ... उन्हें क्या कहा जाए। कानपुर के दो स्कूलों से ऐसे ही मामले सामने आए। एक स्कूल ने मां के आसुओं की कद्र नहीं की। आर्टीई के तहत हकदार उसके बच्चों को प्रवेश नहीं दिया। आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने बुधवार के अंक में उस मां के दर्द को शब्द दिए तो पूरा तन जागा। अफसर बच्चों को लेकर पहुंचें और बच्चों को प्रवेश दिलाया। लेकिन इसी दिन एक अन्य स्कूल की असंतोषजनकता सामने आई है। उसने आर्टीई के तहत पढ़ रहे छात्रों को केवल इसलिए स्कूल से बाहर कर दिया कि उनके पास स्मार्ट फोन नहीं हैं।

## 04 शिकायतें बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभिभावकों ने की

## स्मार्टफोन नहीं था, बच्चे का नाम काटा

**कानूनपर, बहिष्त संसदात्मता**। गृहविषय पित्तो अनेक बच्चों को स्मार्ट फोन न दे सकें तो कल्ले न उनकें नाम कल्ले कर वायर कर दिव्यल। उन बच्चों को शिक्षा ना अधिक कर कानून न देतें 2018-19 में प्रवेश मिले। ये है कौविड 2019 में स्मार्ट फोन न पढ़ाई नही कर सकें। स्कूल से नाम कल्ले के बाद एक मजदूर पित्तो बेटी को लेकर स्कूल के चक्कर काटते-काटते बच गया तो उसे घर ही डेवा लिखी। बीएसए का कार्यलय तब ऐसे घर मालमे पड़े है। स्कूल शिक्षा महानिर्देशन से भी शिकायत है की।

उत्साहपूर्ण निवासी देशराज मजुरी कर परिवार का पेट पाला है। उन्होंने बेटी अर्चना का एडमिशन आर्टीट के तहत सन 2018-19 में संकेत नगर के विद्या वेडेंडी एकेडमी हाईस्कूल में प्री नर्सरी में करा दिया था। देशराज के अनुसार एक सन उन्ने पुरे पढ़ाई की। अगले सन में कोविड कोने के दौरान किसी भी तरह का फोन नही होने के

- 2018-19 में मिला था प्रवेश स्कूल वालों की मनमानी
- बीएसए से मजदूर देशराज ने ब्यां की अपनी बैबसी
- वेंडी एकेडमी में आस्टीई में दो वर्ष पहले कराया था दाखिला

**आस्टीई** में सत्र 2018-19 में प्रवेश लेने के बाद स्कूल बच्चों को निकाल नहीं सकते हैं। स्कूल संचालक को नोटिस दिया गया है। यदि वे फिर भी प्रवेश नहीं लेते हैं तो कार्रवाई की जाएगी।  
-सरजीत क सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी

### स्कूल को बीएसए ने थमाया नोटिस

बैसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने वेंडी एकेडमी हाईस्कूल, साकेत नगर के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर कार्यालय में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। समाजसेवी संदीप पांडेय और महेश कुमार ने अभिभावकों की ओर से वेंडी एकेडमी हाईस्कूल की शिकायत की है।

कारण पढ़ाई बाधित हो गई।  
**स्कूल खुला तो नहीं दी इंट्री :**  
 देशराज बताते हैं कि सत्र 2022-23 की शुरुआत हुई तो वह बेटी को लेकर स्कूल गए। स्कूल ने मेरी बेटी को पढ़ाने से मना कर दिया। प्रिंसिपल ने कहा- जब स्मार्ट फोन नहीं तो पढ़ाई क्यों कराते हो। उसकी शिकायत वैसिक

यही हाल अन्य तीन बच्चों का भी : उस्मानपुर निवासी सनोज भी मजदूर हैं। उनकी बेटी सान्या का दाखिला भी वर्ष 2018-19 में प्री नर्सरी में हुआ था पर स्मार्ट फोन न होने से प्रवेश नहीं दिया।

## जुड़वां रिदम, अमाया को बर्थडे का गिफ्ट

हि असर

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। छह माह बाद जुड़वां भाई-बहन रिदम और अमाया को उनके जन्मदिन पर स्कूल में एडमिशन का गिफ्ट मिल गया। शिक्षा का अधिकार के तहत इन बच्चों को स्कूल आवंटित हुआ था लेकिन स्कूल प्रवेश लेने को तैयार नहीं था। बुधवार को बीएसए सुखजित कुमार सिंह ने खुद जाकर बच्चों का प्रवेश कराया।

आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने बुधवार के अंक में 'स्कूल के सामने रोड़ मां, फिर भी नहीं लिया प्रवेश' खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। डीएम के निर्देश पर बुधवार सुबह बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारी दीपक अवस्थी और वरिष्ठ लिपिक अनिल द्विवेदी एनएलके पब्लिक लिटिल स्टैप जवाहर नगर पहुंचे। यहाँ बच्चों की मां बबीता को बलाया गया।



जुड़वां बच्चे रिदम व अमाया के साथ बबिता

**८८** स्कूल के स्तर से कई शिकायतें आई थीं। इसे लेकर उसे नोटिस भी दिए जा रहे थे। स्कूल ने दोनों बच्चों को प्रवेश दे दिए हैं। स्कूल को चेतावनी भी दे दी गई है। अन्य स्कूलों ने भी वादा किया है कि वे प्रवेश ले लेंगे। - **सरजीत कुमार सिंह**, बेसिक शिक्षा अधिकारी

स्कूल को दी गई चेतावनी, तब माने : पहले तो स्कूल ने प्रवेश लेने में आनाकानी की। काफी देर बाद एक तकनीकी खात्री निकाली। अभिभावक के आवास की जाँच का मुद्दा उठाया। नियमों की अवहेलना पर जब स्कूल को प्रवेश न लेने पर उनके खिलाफ संभावित कार्रवाई के बारे में बताया गया तो स्कूल प्रवेश लेने पर राजी हुआ।

- बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी खुद पहुंचे प्रवेश कराने
- एनएलके पब्लिक लिटिल स्टेप जवाहर नगर में अप्रैल से दौड़ रही थी मां

अभिभावक से मांगा शपथपत्र: इन बच्चों को एनएलके पब्लिक लिटिल स्टेप जवाहर नगर में सीट आवंटित की गई थी। स्कूल का कहना था कि बच्चे जुड़वा हैं, लेकिन फार्म में एक में अलगावित वर्ग है। बताया कि फार्म अभिभावक इंटरनेट केफे पर भरवाते हैं। इस कारण यह त्रुटि हो गई होगी। अभिभावक एक शपथपत्र दे देंगे।

**पहले 11 लाख फीस दिलाओ  
फिर आरटीई में लेंगे प्रवेश**

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता । पहले सरकार से 11 लाख रुपये फीस का चेक दिलाओ फिर आर्टीई में प्रवेश लेंगे। वरना जहां मर्जी शिकायत कर दो। एक स्कूल के प्रधानाध्यापक ने यह धमकी एक अभिभावक को दी। कैंपस में दोनों के बीच खूब झगड़ा भी हुआ। इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी से की गई है। ऐसे ही अभिभावक दिन भर स्कूलों से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक दौड़भाग और हंगामा करते रहे।

आरटीई के तहत होने वाले प्रवेश की फीस भरपाई सरकार करती है। वर्ष

- प्रवेश को मारामारी, डीएम से मिलकर शिकायत की
- स्कूल में अभिभावक और स्कूल संचालक भिड़े

प्रतिशत भुगतान नहीं हो सका है। इस बात से नाराज स्कूल संचालक आरटीई के प्रवेश लेने में आनाकानी कर रहे हैं। मंगलवार को गल्ला मंडी स्थित एक स्कूल में ओम तिवारी अपने बेटे का प्रवेश कराने गए थे। पहले तो प्रधानाध्यापक ने यह कहते हुए प्रवेश से इनकार कर दिया कि बेसिक शिक्षा

# अपना कानपुर

**शर्मनाक: बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल के सामने रोती रही मां**

## सुनवाई नहीं

गानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। गरीबी हमारे लिए अभिशाप बन गई है। हमारे पास पैसा नहीं है वह हमारा कुसूर है लेकिन हम करें भी तो क्या। हम नहीं चाहते कि आगे चलकर हमारे बच्चे भी हमारी तरह मोहताजी का जीवन जीएं। उन्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ, कुछ बनाने का सपना पाले हूँ पर प्राइवेट स्कूल दाखिला लेने को तैयार नहीं हूँ। आर्टीई ( शिक्षा का अधिकार ) के तहत अपने बच्चे का एडमिशन कराने पहुंची एक माँ का यह दर्द सुनकर हर किसी का कलेजा काँप उठेगा पर स्कूल प्रबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ा। डीएम से लेकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक के चक्कर

- बोली-गरीबी हमारे लिए अभिशाप, बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ
- डीएम से ले खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक के काटे चक्कर

काटे पर कुछ न हुआ। मंगलवार को बेबस बबिता साहू स्कूल गेट पर काफी देर तक रहीं रही पर स्टाफ पसीजा नहीं। आंसुओं के बीच आखिरकार उसे लौटना पड़ा। बबिता ने बताया कि जुड़वा बच्चों रिदम और अमाया कि एनएलके पब्लिक लिटिल स्टेप जवाहर नगर में सीट आर्वाइंट की गई थी। रिदम की पंजीकरण संख्या 150894 और अमाया की 150893 है। स्कूल दोनों के प्रवेश के लिए पहले तो



बबिता बच्चों के साथ दाखिले के लिए इधर-उधर भटक रही पर कोई सनने वाला नहीं।

## एनएलके स्कूल ने बीईओ की भी नहीं सुनी

बबीता मंगलवार को पहले स्कूल गई और फिर बीईओ कार्यालय प्रेम नगर आई। यहाँ बीईओ दीपक कुमार ने स्कूल जाने किया। प्रवेश लेने को कहा। फिर एक आदेश की प्रती लेकर उनसे स्कूल जाने को कहा। बबीता स्कूल पहुँची लेकिन किसी ने उनका नहीं सनी। वह काफी देर तक वहाँ खड़ी रोती रही।

आज-कल करते बुलाता रहा लेकिन बाद में एडमिशन से इनकार कर दिया। उन्होंने पांच जलाई का पत्र

दिखाते हुए बताया कि इस संबंध में डीएम से शिकायत की थी। इसके बाद कई बार स्कूल गए लेकिन

**घर-कारोबार की कराई जांच**  
बबिता के मुताबिक पति सिलाई का काम करते हैं। स्कूल वालों ने पहले हमारे अशोक नगर स्थित घर की जांच कराई। फिर पति जहां नौकरी करते हैं वहां जाकर जांच की। इसके बाद भी प्रवेश नहीं लिया गया।

**कटोर कार्रवाई को सूचित करेंगे**  
बीईओ दीपक अवस्थी ने स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य को भेजे पत्र में प्रवेश लेकर दो दिनों के अंदर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर कटोर कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को सूचित करने की चेतावनी दी गई है।

**६६** आरटीई के तहत प्रवेश न लेने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। बबिता के प्रकरण की जांच कराएंगे। प्रवेश सुनिश्चित कराया जाएगा। - विशाख जी. डीएम

## सत्यापन के बाद स्कूलों को मिलेगी आरटीई की फीस

इनकार किया जाता रहा। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रेम नगर में कंप्लेन की। कार्यालय से कई बार

स्कूल फोन किए गए लेकिन एक नहीं सुनी। अप्रैल से अब तक इसी तरह इधर-उधर भटकाया जा रहा है।



















# हिन्दुस्तान

## मांग: आरटीई का दायरा 12वीं तक करे सरकार

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। असंगठित क्षेत्र के संगठनों के वक्ताओं ने रविवार को कहा कि यदि जीवन स्तर में सुधार करना है तो हमें अपने बच्चों को मेहनत और लगन के साथ पढ़ाना होगा। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) को इसका एक हथियार बना सकते हैं। घरेलू महिला कामगार यूनियन के महामंत्री मीनू सर ने कहा कि बिना शिक्षा के हम श्रमिकों के अधिकार जैसे काम के घंटे, ऊंची मजदूरी आदि के बारे में नहीं जान सकते। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों को जानना जरूरी है। सरकार से मांग की गई है कि आरटीई का दायरा 08वीं से बढ़ाकर 12वीं तक किया जाए।

वह गोविंद नगर स्थित बारातशाला में छह संगठनों घरेलू महिला कामगार यूनियन, आशा ट्रस्ट, लोक सेवक मंडल, पीयूसीएल कानपुर, नेशनल सेंटर फॉर लेबर और पीपुल्स फोरम के महासम्मेलन में बोल रहे थे। यहां



गोविंद नगर में रविवार को पांच मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया।

महिला दिवस के साथ होली मिलन समारोह भी हुआ। आरटीई में प्रवेश पाए पांच मेधावी सम्मानित किए गए।

मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक हों : आशा ट्रस्ट के ट्रस्टी वल्लभाचार्य पांडेय ने कहा कि आरटीई के प्रति जागरूक कर बच्चों के प्रवेश आसानी से कराए जा सकते हैं। लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष दीपक मालवीय ने कहा कि हम जितना जागरूक होंगे, उतना ही आगे बढ़

सकेंगे। गांधी शांति प्रतिष्ठान के जगदंबा भाई ने कहा कि हमें अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। आईसीएन के संयोजक अरविंद मूर्ति, पीयूसीएल के अध्यक्ष तौहीद अहमद, पीपल्स फोरम के आलोक अग्निहोत्री, सारस फाउंडेशन के सलीम अहमद, रजनीश, राम किशोर बाजपेई, माया, पूजा, दीपमाला, चंदना झा, आरती, मोहिनी देवी, रुखसाना बेगम, महेश कुमार आदि रहे।

### भावना शिक्षिका बनेगी

रामाश्रय नगर की भावना तिवारी पढ़कर शिक्षिका बनना चाहती है। डॉल्स डिलाइट में पढ़ने वाली छात्रा कक्षा चार में सेकेंड पोजीशन आई है।



### अनन्या भास्कर बनेगी एक्ट्रेस

बगाही में रहने वाली अनन्या भास्कर सिटी एजुकेशन सेंटर में पांचवीं की छात्रा है। अनन्या को अभिनय करना अच्छा लगता है।



### शिवम बनेगा इंजीनियर

कच्ची बस्ती, गोविंद नगर निवासी शिवम झा ने चौथी की परीक्षा 96 फीसदी अंकों के साथ पास की है। शिवम कुछ बनकर घर की स्थिति में सुधार करना चाहता है।



### खुशी बिजनेस करेंगी

दर्शन पुरवा निवासी खुशी निषाद फातिमा कॉन्वेंट में पांचवीं की छात्रा है। खुशी बिजनेसमैन बनना चाहती हैं।



### वैभव पढ़ाई के बाद लेगा फैसला

परमपुरवा निवासी वैभव गुप्ता सुपर इंटरनेशनल में पांचवीं का छात्र है। वैभव का कहना है कि वह करियर के बारे में बाद में सोचेगा।





## Unorganized Workers' Social Security Act 2008

Unorganised Workers' Social Security Act 2008 is an Act of the Parliament of India enacted to provide for the social security and welfare of the unorganised workers. We are doing 40 Webinar/Public meetings with women domestic workers in Kanpur. Total number of domestic workers reached 40 to 200 in per meeting.

## ई-श्रम पोर्टल पंजीयन में यूपी आगे

उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और हिमाचल प्रदेश शीर्ष नौ राज्यों में शामिल

NEW DELHI (27 Aug, Agency): ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन के मामले में यूपी सभी राज्यों से आगे है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य पंजीयन के मामले में पहले नौ राज्यों में शामिल हैं। सिर्फ नौ राज्य ही अपना 80 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर पाए हैं। असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम मंत्रालय की तरफ से ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है। श्रम मंत्रालय का मानना है कि देश भर में 38 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक हैं। इसलिए ई-श्रम पोर्टल पर 38.37 करोड़ श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी राज्यों को श्रमिकों के पंजीयन को लेकर अलग-अलग लक्ष्य दिए गए हैं।



38.37 करोड़ श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य रखा है केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने

28.10 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है देश में 15 अगस्त तक

80% पंजीयन का लक्ष्य केवल नौ राज्य ही हासिल कर पाए हैं

### क्या कहते हैं आंकड़े ?

गत 15 अगस्त तक देश भर में 28.10 करोड़ असंगठित श्रमिकों का पंजीयन ई-श्रम पोर्टल पर किया जा चुका था। पंजीयन लक्ष्य का 80 प्रतिशत हासिल करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और बिहार शामिल हैं। सरकार ने ई-श्रम पोर्टल के डाटा को विभागों से साझा करने का फैसला लिया है।

### पंजीयन राज्यवार स्थिति

राज्य	पंजीयन प्रतिशत
यूपी	124.49%
उड़ीसा	102.35%
छत्तीसगढ़	99.15%
उत्तराखंड	94.10%
बंगाल	91.79%
हिमाचल	91.74%
बिहार	81.27%
झारखंड	83.54%
हरियाणा	66.17%
पंजाब	64.87%
दिल्ली	61.72%
मध्य प्रदेश	68.74%

यूपी में 8.29 करोड़ लेबर रजिस्टर्ड

● श्रम मंत्रालय के मुताबिक इस साल 15 अगस्त तक यूपी में लक्ष्य के मुकाबले 124 परसेंट श्रमिकों का पंजीयन किया गया है।

● यूपी को 6.66 करोड़ श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य दिया गया था और 8.29 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है।

● लक्ष्य से अधिक पंजीयन करने वाले राज्यों में यूपी, ओडिशा शामिल है।









## Right to Information Act 2005

**The Right to Information Act**, simply known as RTI, is a revolutionary Act that aims to promote transparency in government institutions in India. The Act came into **existence in 2005, after sustained efforts of anti-corruption activists.**


In between April 2022 to August 2023 I was receive near **250 phone calls** for help the filing RTI applications, Appeal and guidance. I was participate in 15 Webinar on RTI Issues for giving the training and learning during the last one Year.



**नवीन महेशकुमार अग्रवाल**  
रजिस्ट्रार,  
दादा रामचंद बाखरू सिंधु  
महाविद्यालय, नागपुर

**फोन क्र. 9273301557**

**ईमेल:- smv.registrar@gmail.com**







## Contact Details



Mahesh Kumar Pandey  
Asha Trust (Kanpur) 685/A Village:  
Tatiyaganj, Post: Tatiyaganj, Mandhana,  
Kanpur Nagar-209217, UP, INDIA  
Cell No. +91-9838546900,  
+91-7800790067  
E-mail: [maheshballia@gmail.com](mailto:maheshballia@gmail.com),  
<https://www.facebook.com/ashakanpur>  
<http://balsajag.blogspot.com/>  
<http://rtiup.blogspot.com>



Total approved amount for Mahesh Pandey fellowship for 2023-2024 is 4,97,000.  
The monthly salary is 41,416/- . So total is 4,97,000